ग्राम पंचायत कसाण, विकास खण्ड सदर, जिला मंडी के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.14 से 31.03.17

भाग- एक

1 (क) प्रस्तावना :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत कसाण, विकास खण्ड सदर, जिला मंडी के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान :-

क्र॰ सं॰	नाम	अवधि
1	श्रीमति रजनी देवी	01.04.14 से 22.01.16
2	श्री सीता राम	23.01.16 से लगातार

सचिव :-

क्र॰ सं॰	नाम	अवधि
1	श्रीमति सुशीला कुमारी	01-04-14 से 23-12-16
2	श्री धनदेव	23-12-16 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत कसाण, विकास खण्ड सदर के लेखाओं अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण रोकड़ वही व बैंक खाते में अन्तर पाया जाना	0.02
2	5	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.20
4	7	अनुदान का उपयोग न करना	17.36
5	8	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	0.61
6	9	क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना	1.64
7	11	हि. प्र. बिजली बोर्ड से प्रतिभूति वापिस न लेना	0.24

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत कसाण, विकास खण्ड सदर, जिला मंडी के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विनय कुमार, अनुभाग अधिकारी एवं श्री सन्तोष कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 09.01.18 से 16.01.2018 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014-15	08/2014	08/2014
2015-16	08/2015	01/2016
2016-17	08/2016	02/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत कसाण, विकास खण्ड सदर, जिला मंडी के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 02 दिनांक 16.01.18 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वितीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत कसाण, द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(i) स्व: स्त्रौत :- ग्राम पंचायत कसाण, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की स्व: स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट-1 में भी दिया गया है:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	72449	88313	160762	100893	59869
2015-16	59869	143233	203102	99301	103801
2016-17	103801	143294	247095	99755	147340

(ii) अनुदान :- ग्राम पंचायत कसाण, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** A में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष

2014-15	501124.14	3112753	3613877.14	3319430	294447.14
2015-16	294447.14	3541286.18	3835733.32	2655479.18	1180254.14
2016-17	1180254.14	6672040	7852294.14	6116305	1735989.14

बैंक समाधान विवरणी :-

स्व स्त्रौत :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष : ₹147340

अनुदान :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष : ₹1735989.14

स्व स्त्रौत एवं अनुदान की रोकड़ बहियों में

दिनांक 31.03.17 को अन्तिम शेष : ₹1883329.14

दिनांक 31.03.17 को बैंक खातों में अन्तिम शेष : ₹1881049.72

(विस्तृत ब्यौरा परिशिष्ट-2 में संलग्न)

दिनांक 31.03.17 को हस्तगत राशि (स्व- स्त्रौत) : ₹448

₹1881497.72

अन्तर की राशि : ₹1831.42

4.1 रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण रोकड़ बही व बैंक खाते में ₹0.02 लाख का अन्तर पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है । जबकि पंचायत की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.17 को रोकड़ बही में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार रोकड़ बही एवं बैंक के अन्तिम शेष में ₹1831.42 का अन्तर पाया गया, यह राशि बैंकों में, रोकड़ बहियों की तुलना में कम जमा पाई गई जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 01 दिनांक 15.01.18 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक मिलान नही किया गया । अत: अतिशीघ्र इसका मिलान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करावाया जाये तथा भविष्य में भी नियमानुसार रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5 पंचायत राजस्व ₹0.20 लाख वसूली हेतु शेष:-

पंचायत की स्व स्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.17 को (परिशिष्ट-3) निम्न विवरणानुसार गृहकर के रूप में ₹20100 वसूली हेतु शेष थी, जिसकी अतिशीघ्र वसूली करना सुनिश्चित करें।

गृहकर :

वर्ष	अथशेष	गृहकर की मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि

2014-15	-	9240	9240	9240	-
2015-16	-	9240	9240	-	9240
2016-17	9240	10860	20100	-	20100

6 मेले के दौरान तहबाजारी से प्राप्त आय के अभिलेख का रख रखाव न करना

पंचायत द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित मेले के दौरान दुकानदारो को प्लाटो के आबंटन की दर ₹50 प्रति फुट(फ्रंट लम्बाई) प्रस्ताव सं 12 दिनांक 27.07.14 तथा ₹100 प्रति फुट(फ्रंट लम्बाई) प्रस्ताब सं 12 दिनांक 07.08.16 द्वारा निर्धारित थी, परन्तु पंचायत द्वारा वसूल की गई तहबाजारी की रसीदों के अतिरिक्त कोई अन्य अभिलेख नही रखा गया था, जिससे वसूल की गई राशि की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी। अत: भविष्य में आयोजित होने वाले मेले के दौरान आबंटित की जाने वाली दूकानों से सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख(आबंटित फ्रंट लम्बाई) तथा इससे सम्बंधित रजिस्टर आदि रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

7 अनुदान ₹17.36 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-1 A)** के अनुसार दिनांक 31.03.17 तक अनुदान ₹1735989 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

8 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹0.61 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमंत्रित करना) प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-4** में दिये गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹60555 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 ₹1.64 लाख की क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69, 70 एवं 71 में क्रय की गई सामग्री के भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज करने, जारी करने एवं भण्डारण संबन्धित औपचारिकतायें प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-5** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹164446 की क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में नहीं किया गया था, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये समस्त क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में करना सुनिश्चित करें।

10 पंचायत की अधिशेष राशि को नियमानुसार सावधि जमा योजना में निवेश न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अधिशेष निधियों को पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है ताकि इन पर अधिकतम लाभ कमाया जा सके। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई थी तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था, जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में काफी मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

11 हि.प्र. बिजली बोर्ड से ₹0.24 लाख की प्रतिभूति की वसूली न करना:-

ग्राम पंचायत कसाण द्वारा स्थानीय मेले के आयोजन के दौरान निम्न विवरण के अनुसार अस्थाई बिजली कनेक्शन लेने के लिए हि.प्र. बिजली बोर्ड को भुगतान किया गया था तथा मेले की समाप्ति पर इस को बोर्ड द्वारा वापस नही किया जो 31.3.17 तक ₹24424 शेष थी। अतः इस राशि की वसूली की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

क्र. सं.	वा. सं/ माह	जमा राशि	बोर्ड द्वारा वापिस राशि	वसूली योग्य राशि
01.	14 माह 08/14	13447	11050 (09.01.15)	2397
02.	30 माह 08/15	11056	-	11056
03.	43 माह 08/16	11021	-	11021
	कुल योग	**₹35524**	**₹11050**	**₹24474**

12 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1. अनुदान रजिस्टर
2. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर।
3. गृहकर रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना।
4. अग्रिम रजिस्टर तैयार न करना।
5. रसीद बुकों का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना।

13 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

14 **लघु आपति विवरणिका :-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

15 **निष्कर्ष :-** लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(xi) 52/2018 खण्ड–1–3665–3668 दिनांक 23.05.2018शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत कसाण, विकास खण्ड सदर, जिला मण्डी हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सदर, जिला मण्डी हि0प्र0

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881